



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती चन्नी बनाम श्री सिद्धु व अन्य

किस्म मुकदमा

मु0न0 103/11 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
30-4-19	वकूला.ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो व्यवस्त/ <del>मुसाय कार्यो व्यवस्त</del> पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. ममक्ष दिनांक..... 18-6-19..... को पेश हों।	
18/6/19	वकूला.ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो व्यवस्त/..... पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. ममक्ष दिनांक..... 13/8/19..... को पेश हों।	
13-08-19	वकूला. ए- फरीकेन उप.। वकील जार्जी को दिनांक 14-01-19 को नोबिसिंग नोटिसान हेतु विधिक प्रवर्धनों के तहत संश्लेषक काबल गण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जो 7 माह की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया व क्षाज भी प्रस्तुत नहीं किया। युंकि प्रकरण काबली पुराना है एवं बार-बार निर्देशों के बावजूद कौदमों की पातना नहीं की जा रही है जिससे प्रकरण वर्षे रखने की मंशा जाहिर करता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पचावसी फैसला नुमाद होकर नम्बर से काम हो।	

(जस्सीतबिंह संधू)  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

